दैनिक
न्याय साक्षी

महत्वपूर्ण एवं खास

एसआईटी बदले की भावना से काम नहीं करेगी, इसे कौन लीड करेगा ये फैसला भी जल्द-मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

रायपुर। प्रदेश के नए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दूधाधारी मठ में ग्लिब्स संवाददाता से कही। इससे पूर्व मठ के महंत राम सूंदरदास ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। उनके साथ वहां पर अन्य विधायक भी मौजूद थे। सीएम बघेल यहां मठ के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। जल्दी ही होगा मंत्रिमंडल का गठनप्रदेश के निवासियों को गुरु बाबा घासीदास की जयंती की बधाई देते हुए कहा कि दो मंत्रियों ने शपथ ली है। बाकी के नामों का फैसला भी जल्दी ही किया जाएगा।

एसआईटी नहीं करेगी बदले की भावना से काम झीरम घाटी के मामले पर सीएम बघेल ने कहा कि एसआईटी का गठन किया गया है। अब इसे कौन लीड करेगा ये फैसला भी जल्द ही हो जाएगा। उन्होंने दो टूक लहजे में कहा कि एसआईटी बदले की भावना से काम नहीं करेगी।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 को

रायगढ़ (आरएनएस)। आम उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के संबंध में जागरूक करने हेतु 24 दिसम्बर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के आयोजन में सभी शासकीय एजेन्सियों, स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों, शैक्षणिक संस्थाओं, मिडिया तथा अन्य का योगदान आवश्यक है। इस मौके पर नकली दवाओं तथा वस्तुओं अपमिश्रित खाद्य उत्पादों के स्पष्ट चिन्हों की पहचान करके अपमिश्रण और नकली उत्पादों का पता लगाने के लिए सरल तरीके प्रचारित करना। अपमिश्रण नकली उत्पादों के प्रचलन पर रोशनी डालते हुए पाम्पलेट, हैण्ड बिलों, पोस्टरों के रूप में निःशुल्क साहितय वितरित किया जाएगा। कन्ज्यूमर क्लबों के माध्यम से स्कूली छात्रों के साथ-साथ आम उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के संबंध में जानकारी दी जाएगी।

व्यय लेखा प्रस्तुत किए जाने के संबंध बैठक 21 एवं 6 जनवरी

रायगढ़ (आरएनएस)। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 78 के तहत विधानसभा निर्वाचन 2018 के परिणाम की घोषणा के 30 दिवस के भीतर प्रत्येक अभ्यर्थी/प्रत्याशी को निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। उक्त अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में सर्व अभ्यर्थी/प्रत्याशी को अंतिम व्यय लेखा तैयार करने के संबंध में 21 दिसम्बर 2018 को पूर्वान्ह 11 बजे एवं 6 जनवरी 2019 को पूर्वान्ह 11 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में एक बैठक आहूत किया गया है। अंतिम व्यय लेखा प्रस्तुत करने के संबंध में आवश्यक सहयोग हेतु जिला अनिल पटेल कोषालय अधिकारी रायगढ़/ सहायक नोडल अधिकारी निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण 2018 उपस्थित रहेंगे। पटेल का मोबा. नं. 93006-05514 है। उक्त तिथि एवं समय पर में सर्व संबंधित अभ्यर्थी/अभिकर्ता अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का कष्ट करें।

नगर निगम ने मास्टर प्लान में उद्योगों को किया शामिल

रायगढ़। सेठ किरोड़ी मल और राजा चक्रधर सिंह के नाम से मशहूर रायगढ़ शहर के रहवासियों को नियम कायदों को ठेंगा दिखाते हुए प्रदूषण की सौगात दे दी है। नगर निगम के पुराने मास्टर प्लान की बात करें तो पूरी तरह से उद्योगविहीन मास्टर प्लान था, लेकिन 13 गांव निगम की सीमा में शामिल होने के बाद वार्डों के लिए परिसीमन के दौरान निगम प्रशासन ने दरकिनार कर दिया और वर्तमान में निगम परिक्षेत्र में एक बड़े उद्योग सहित आधा दर्जन राइसमिल धड़ल्ले से संचालित हो रही हैं।

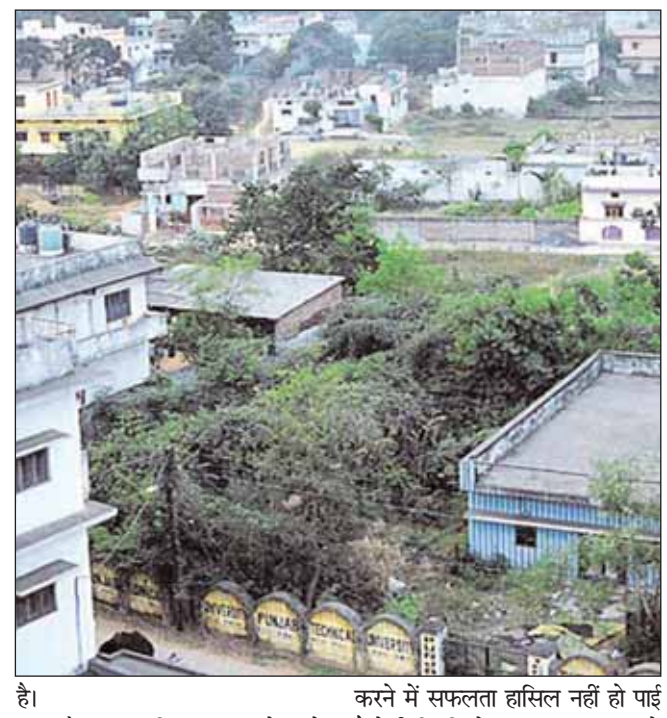

निगर निगम के पुराने मास्टर प्लान के नियमों पर गौर करें तो इसमें उद्योग शामिल नहीं किया जाना था। रायगढ़ शहर के लिए वर्ष 2007 में बने मास्टर प्लान में भी नगर निगम, नगर एवं ग्राम निवेश व अन्य विभागों ने संयुक्त रूप से नियमों का पालन करते हुए मास्टर प्लान तैयार किया था, लेकिन इसमें उद्योगों के लिए शहर से बाहर दूरी व जगह आरक्षित करने पर ध्यान नहीं दिया गया। मास्टर प्लान पर मुहर लगने के बाद वर्ष 2012 में नगर निगम ने अपने वार्डों का दायरा बढ़ाने के लिए शहर से लगे 13 गांव को निगम की सीमा क्षेत्र में शामिल किया, लेकिन इन 13 गांव को निगम सीमा क्षेत्र में शामिल करने के दौरान वार्डों को लेकर जो रूपरेखा तैयार की गई उसमें यह भूला दिया गया कि मास्टर प्लान क्षेत्र के भीतर उद्योग नहीं होता है।

इसके बाद नियम कायदों को दरकिनार करते हुए पूर्व से स्थापित एक बड़े उद्योग सहित आधा दर्जन से अधिक राइसमिल को शहरी सीमा में शामिल कर दिया गया। वर्तमान स्थिति पर गौर किया जाए तो इन उद्योगों के आस-पास क्षेत्र में काफी अधिक आबादी बसती जा रही है। इन क्षेत्रों में बसने वाले लोग प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। वर्ष 2021 में फिर से शहर का नया मास्टर प्लान तैयार होना है लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि पूर्व में बने मास्टर प्लान को अब तक लागू करने में सफलता हासिल नहीं हो पाई है ऐसी स्थिति में नए मास्टर प्लान को लेकर संशय की स्थिति बन रही है। बताया जा रहा है कि पहले इस ओर ध्यान न दिए जाने से अब नए मास्टर प्लान में शहर का क्षेत्र और बढ़ेगा जिसके कारण और भी कई उद्योग इसमें शामिल हो सकते हैं।

चारों दिशाओं में स्थापित हैं उद्योग

नियमानुसार देखा जाए तो मास्टर प्लान क्षेत्र के बाहर उद्योगों के लिए एक दिशा व क्षेत्र तय किया जाता है ताकि शहर को प्रदूषण से बचाया जा सके लेकिन रायगढ़ शहर के चारों ओर कोई न कोई उद्योग स्थापित हैं। नए प्रस्तावित उद्योग भी चारों दिशा में ही स्थापित हो रहे हैं। इसके कारण चारों ओर से प्रदूषण की मार शहरवासियों पर पड़ रही है।

यहां किया गया था उद्योगों का चिन्हांकन

तमनार क्षेत्र में देखा जाए तो चारों ओर उद्योग व खदान हैं तमनार विकास प्राधिकरण में अब उद्योग व कोल माईंस के लिए क्षेत्र निर्धारित किया जा रहा है, लेकिन मुख्यालय के लिए बनाए गए मास्टर प्लान में इसे दरकिनार कर दिया गया था। इसी का नतीजा है कि आज लोग प्रदूषण की मार झेल रहे हैं, लेकिन उससे किसी कोई वास्ता नहीं है।

जहां प्रस्तावित वहां कोई उद्योग ही नहीं

अधिकारियों की माने तो जेपीएल के समीप कुछ क्षेत्र को मास्टर प्लान में अद्यौगिक क्षेत्र के रूप में प्रस्तावित किया गया है लेकिन इस क्षेत्र में जेपीएल के अलावा कोई नया उद्योग नहीं लगा बल्कि दूसरे दिशाओं में कई उद्योग स्थापित हो गए। इसके बाद भी इस ओर निगम प्रबंधन द्वारा कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है।

समाज में नई जागृति लाने वाले महान संत गुरु घासीदास की जयंती धूमधाम से मनाई गई

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के गिरौद नामक गांव में बाबा गुरु घासीदास का जन्म 18 दिसंबर 1756 को हुआ था। उनके पिता का नाम महंगू दास तथा माता का नाम अमरौतिन था और उनकी धर्मपत्नी का सफुरा था। गुरु घासीदास का जन्म ऐसे समय हुआ जब समाज में छुआछूत, ऊंचनीच, झूठ-कपट का बोलबाला था, बाबा ने ऐसे समय में समाज में समाज को एकता, भाईचारे तथा समरसता का संदेश दिया। घासीदास की सत्य के प्रति अटूट आस्था की वजह से ही इन्होंने बचपन में कई चमत्कार दिखाएं, जिसका लोगों पर काफी प्रभाव पड़ा। गुरु घासीदास ने समाज के लोगों को सात्विक जीवन जीने की प्रेरणा दी। उन्होंने न सिर्फ सत्य की आराधना की, बल्कि समाज में नई जागृति पैदा की और अपनी तपस्या से प्राप्त ज्ञान और शक्ति का उपयोग मानवता की सेवा के कार्य में किया। इसी प्रभाव के चलते लाखों लोग बाबा के अनुयायी हो गए। फिर इसी तरह छत्तीसगढ़ में 'सतनाम पंथ' की स्थापना हुई। इस संप्रदाय के लोग उन्हें अवतारी पुरुष के रूप में मानते हैं।

बारिश ने ढ़हाया, कहर मकान की दिवार हुयी धाराशाही

रायगढ़ (आरएनएस)। कल रात से हो रही बारिश ने एक गरीब परिवार पर कहर ढ़हा दिया लगातार हो रही बारिश ने कोतरा रोड़ राजीव नगर स्थित घर की एक दिवार को अपना शिकार बनाया और वह धाराशाही हो गयी सुबह हुयी इस घटना का प्रशासन ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया हैं जिसके कारण परिवार को कोई राहत नहीं मिल पायी हैं राजीव नगर स्थित सुमित्रा अपने दो बच्चों के साथ दयनीय स्थिति में रहकर गुजर बसर कर रही थी घरवालों को आशा है कि प्रशासन से कोई मदद मिल जाती तो घर के गिरी हुई दीवार फिर से बन जाती।

फाईल फोटो

प्रदेश के कई जिलों के कलेक्टर एवं एसपी की तबादले की संभावना

रायपुर। सप्ताह भर के भीतर प्रदेश के कई जिलों के कलेक्टर एवं एसपी सहित प्रशासनिक विभाग के कई अधिकारियों का प्रभार एवं तबादला आदेश जारी किया जा सकता है। प्रशासनिक सर्जरी में प्रदेश के कई जिलों के कलेक्टर एवं एसपी भी बदले जा सकते हैं।

SJU - Contact No. +91 9301915303
E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं० 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कुछ सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐश्वर्या श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ठाकुर्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य क्षेत्र में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्त, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं सैद्धांतिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा सैद्धांतिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के मूर्धन्य विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए ....
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

CAREER SCHOOL
CAREER HINDI & ENGLISH MEDIUM SCHOOL
स्थापना दिनांक 1 जुलाई 1996
पिछले 22 वर्षों से लगातार बच्चों के साथ...
ADMISSION OPEN
ENGLISH MEDIUM
For Nuresery to 10th

Topper Students Last Session

Topper Students Last Session

Join CAREER...

Major Facts
1/ Well Qualified Teachers....
2/ A perfact ratio of Techers and Students regarding classes...
3/ Complete Caring Atmosphere.
4/ Good and Equipped Class rooms....
5/ Value based education like daily classes for Logical Maths, G.K.,English Grammar....
6/ CCTV equipped School...
7/ Scientific and Cultural Activities Every Saturday....
8/ And above all Attention on Each and Every Student of the School....

CAREER SCHOOL
ENGLISH MEDIUM
BEHIND STADIUM STREET
RAIGARH C.G.
07762-221359

तत्काल आवश्यकता है
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग
वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....
न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की
खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO.-CHHHIN16931